अनौपचारिका

समकालीन शिक्षा-चिन्तन की मासिक पत्रिका

हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था
व्यक्ति को मैं नहीं जानता था
हताशा को जानता था

इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया

मैंने हाथ बढ़ाया
मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ
मुझे वह नहीं जानता था
मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था

हम दोनों साथ चले
दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे
साथ चलने को जानते थे।

वर्ष : 52 अंक : 4 चैत्र-वैशाख वि.सं. 2082 अप्रेल, 2025 पृष्ठ-28 **RNI 43602/77 ISSN No.2581-981x**

बीकानेर समिति में निर्विरोध चुनाव

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उन्नयन को समर्पित संस्था बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर के चुनाव 17 मार्च, 2025 को सर्वसम्मति से संपन्न हो गये। अध्यक्ष पद पर डॉ. ओम कुवेरा चुने गए, जबकि सचिव पद की जिम्मेदारी सुशीला ओझा को मिली है। उपाध्यक्ष पद पर डॉ. विभा बंसल, कोषाध्यक्ष पड़ पर एडवोकेट गिरिराज मोहता तथा संयुक्त सचिव के रूप में डॉ. ब्रजरतन जोशी निर्वाचित हुए हैं। ❑

समिति में दो किताबों पर चर्चा

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति में पिछले दिनों दो किताबों पर दिलचस्प विमर्श हुआ। एक किताब थी कविताओं की जिसमें रिश्ते-नातों का वह मीठापन था जो नये ज़माने में खो गया है। दूसरी किताब एक उपन्यास थी जिसमें एक पौराणिक चरित्र को नयी दृष्टि से देखा गया था। कविताएं लिखने वाला पेशे से व्यवसाई था जबकि पुराणों पर कथा लिखने वाला दैनिक अखबार का पत्रकार। दोनों लेखक निराभिमानी। कलमकार मंच के साथ हुए इस इस आयोजन में दो-दो समीक्षकों ने सुंदर 'बेवफा' की कविताओं की पुस्तक 'एहसास' तथा राजेश शर्मा के उपन्यास 'मंथरा' पर अपनी अपनी बेलाग टिप्पणियां की। 'मंथरा' पर टिप्पणीकार थे कविता मुखर और महेश कुमार जबकि 'एहसास' पर सुनीता बिश्नोलिया तथा पूनम भाटिया ने सम्मतियां रखी।

कार्यक्रम में मौजूद जाने-माने साहित्यकार नन्द भारद्वाज, लेखक चरणसिंह पथिक तथा व्यंग्यकार फ़ारूक़ अफ़रीदी ने लेखन की विधाओं पर सहज सीख दी। कलमकार मंच के निशांत मिश्रा ने सहज ढंग से संचालन किया। आयोजन का समापन एक छोटी सी काव्य गोष्ठी के साथ हुआ। ❑

Love is patient, love is kind. It does not envy,
it does not boast, it is not proud. It does not dishonor
others, it is not self-seeking, it is not easily angered,
it keeps no record of wrongs.
1 Corinthians 13:4-5

प्रेम धीरज है, प्रेम दयालु है। यह ईर्ष्या नहीं करता,
यह शेखी नहीं बघारता, यह घमंडी नहीं है। यह दूसरों का अपमान नहीं
करता, यह स्वार्थी नहीं है, यह आसानी से क्रोधित नहीं होता, यह
गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता।
(बाइबिल की सीख)

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। ऋग्वेद

अनौपचारिका

समकालीन शिक्षा-चिन्तन की पत्रिका

वर्ष : 52 अंक :4 चैत्र-वैशाख वि.सं. 2082 अप्रेल, 2025 मूल्य : पचास रुपये

क्र म

वाणी

3. बाइबिल की सीख
संपादकीय

5. असहमति के लिए जगह बनी रहना जरूरी
लेख

7. समता मूलक सामजंस्य की अवधारणा
– नन्दकिशोर आचार्य

9. किसानों का इतिहास जानना
– मृदुला मुखर्जी

12. थोड़े में गुज़ारा होता है
– डोमिनिक मान

14. कहानी अंतरिक्ष में अप्रत्याशित होने की
भेंट वार्ता

16. मेरे लिखने के लिए अभी बहुत कुछ बचा हुआ है... **– विनोद कुमार शुक्ल**

21. **पुस्तक परिचय**
ऐश्वर्या राय को पहला ब्रेक देने के बाद 'ये दिल मांगे मोर' **– प्रहलाद कक्कड़**
लेख

24. हिन्दी के बारे में
– योगेंद्र यादव

26. वाबी-साबी: अपूर्ण, अनित्य और अधूरी चीजों की सुंदरता! **– वी.राजन**
स्मृति शेष

27. हिम्मत शाह नहीं रहे

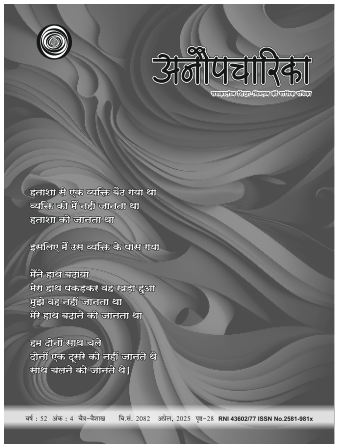

आवरण कविता : विनोद कुमार शुक्ल

राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति
7-ए, झालाना डूंगरी संस्थान क्षेत्र,
जयपुर-302004
फोन : 2700559, 2706709, 2707677
ई-मेल : raeajaipur@gmail.com
www.raea.in

संरक्षक :
श्रीमती आशा बोथरा
संपादक :
राजेन्द्र बोड़ा
प्रबंध संपादक :
दिलीप शर्मा

संपादकीय

असहमति के लिए जगह बनी रहना जरूरी

लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबकी सहमति बना कर चलती है। शासन की बागडोर भले ही प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन से सौंपी जाती है किन्तु राज्य का संचालन आम सहमति बना कर चलाना ही लोकतान्त्रिक नेताओं की असली उपलब्धि होती है। लोकतंत्र की पहली शर्त यही होती है कि उसमें प्रत्येक नागरिक को लगे कि वह अपने तरीके से जीवन जीने को स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता में उसकी किसी परमेश्वर में आस्था के साथ किसी परमेश्वर को न मानने की भी आस्था, उसका रहन सहन, उसकी बोली, उसका खानपान, पहनावा सब शामिल होता है। भारतीय संविधान उसे अपनी बात कहने का, अपना मत रखने का, और उसे अभिव्यक्त करने का पूरा हक़ देता है। संविधान उसे यह हक़ भी देता है कि वह बिना कोई लोभ, लालच, प्रलोभन या दबाव दिये दूसरों को अपने मत का बनाने के लिए प्रयत्न कर सके। नागरिकों के लिए इन्ही अधिकारों को पाने के लिए देश की आज़ादी के लिए लंबी जंग लड़ी गई थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के स्वाधीनता संग्राम के मूलभूत मूल्यों में से एक थी। अंग्रेजों ने असहमति के स्वर को कुचलने का भरसक प्रयास किया परंतु स्वाधीनता सेनानियों को यह एहसास था कि देश में प्रजातांत्रिक संस्कृति की जड़ पकड़ने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है।

स्वाधीनता संग्राम के कई नेताओं को निडरता से अपनी बात रखने की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा हर तरह से प्रताड़ित किया गया। स्वाधीनता के बाद, हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए जिनसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई सरकार समाप्त न कर सके। इन अधिकारों में प्रत्येक नागरिक को असहमति का अधिकार भी शामिल है जो संविधान की उसी धारा में समाहित है जिसमें प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। असहमति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित प्रतिबंधों के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विस्तार ही है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसे बनाये रखने की हमने शपथ ले रखी है। जब भी कोई चीज़ हमारी अंतरात्मा के ख़िलाफ़ जाती है तो हम इसे मानने से इनकार कर देते हैं। अपना कर्तव्य समझते हुए हम ऐसा करने से इनकार करते हैं। संविधान हमें ऐसा अधिकार देता है कि हम ऐसी किसी बात को मानने से इनकार करें जो हमारी अंतरात्मा के ख़िलाफ़ है। यही बात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हमें सिखाई।

असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में असहमतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि उन्हें कुचला जाना चाहिए। शर्त बस इतनी ही है कि असहमति शांतिपूर्ण हो और वह हिंसा में तब्दील न हो।

असहमति का अर्थ विरोध नहीं होता, इसलिए हमारे यहां इसकी जगह पक्ष और प्रतिपक्ष की अवधारणा है। हमारे संवैधानिक सदनों में कोई विरोधी पक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। असहमति जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है। लोकतान्त्रिक शासन में असहमति की तार्किक अभिव्यक्ति आम सहमति बनाने के लिये ही होती है। लेकिन हम पाते हैं कि भारतीय समाज में विभिन्न मुद्दों पर विपरीत विचारधारा के लिये असहिष्णुता बढ़ रही है। यह चिंता की बात है। दुर्भाग्य से कई बार असहमति का विकृत रूप भी देखने को मिलता है। ऐसा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के कारण होता है जहां असहमति के लिए लोगों को भड़काया जाता है जिसका नतीजा जनसमूह के हिंसक हो जाने की घटनाएं के रूप में सामने आता है। असहमति व्यक्त करने के लिए शुरू में शांतिपूर्ण तथा अहिंसक तरीके से धरना-प्रदर्शन और बंद का आयोजन किया जाता है लेकिन उसे हिंसक होने में देर नहीं लगती। यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंसा का माहौल आंदोलनकारियों के कृत्य से बनता है या राज्य की ताकत की प्रतीक पुलिस के असंयमित कदम से। लेकिन हिंसक गतिविधियों को 'असहमति' के दायरे में नहीं माना जा सकता। हिंसा भौतिक ही नहीं होती है। असंयमित भाषा, क्रूर भाषा और गाली - गलौच वाली भाषा, किसी को देख लेने की धमकी देने वाली भाषा और किसी की आस्था का अमर्यादित मजाक उड़ाना हिंसा का प्रतिरूप ही माना जा सकता है।

अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के इस्तेमाल के नाम पर किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में कटुता फैलाने की आज़ादी भी हमारा संविधान नहीं देता। सरकार के रवैये से नाराज होकर किये जाने वाले आंदोलनों के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ होना भी आम है। इसीलिए लोकतंत्र में असहमति और असहमति व्यक्त करने के लिये हिंसा, तोड़फोड़ करने या फिर विघटनकारी गतिविधियों का सहारा लेने जैसे कृत्यों के बीच अंतर करने और असहमति के स्वरूप को परिभाषित करने की भी आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

अभिव्यक्ति की आजादी का बोलबाला सोशल मीडिया पर अधिक नज़र आता है जहां राजनीतिक दलों, नेताओं के साथ ही न्यायपालिका और इसके सदस्यों के बारे में भी मनमर्जी की टिप्पणियां आम होती हैं। इसी वजह से ऐसा महसूस किया जाता है कि सोशल मीडिया पर की जा रही अनर्गल और बेबुनियाद टिप्पणियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

इन दिनों जो हो रहा है ज्यादा चिंता की बात यह है कि साम्प्रदायिकता के ज़हर से लबरेज़ लोग अपने स्तर पर साम्प्रदायिकता के विरोधियों की आवाज़ को कुचल रहे हैं, उन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। आज न केवल धर्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा का वातावरण बन गया है बल्कि उनके प्रति भी जो प्रजातांत्रिक और बहुवादी मूल्यों के हामी हैं। समाज में असहिष्णुता तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अनेक सवाल उठते है। समाज का साम्प्रदायिकीकरण क्यों हो रहा है? हम इतने असहिष्णु क्यों होते जा रहे हैं? यदि हम कुछ पीछे मुड़कर देखें तो स्वाधीन भारत में वैचारिक कारणों से हत्या की सबसे पहली और सबसे प्रमुख घटना थी महात्मा गांधी की हत्या। अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता राज्य की उदारता से नहीं मिलती। अभिव्यक्ति का सरकारी दमन असत्य को उजागर करने को अधिक कठिन तो बना सकता है, उसे कम नहीं कर सकता। ❑

समतामूलक सामंजस्य में राज्य की अवधारणा

❑

नन्दकिशोर आचार्य

आचार्य जी की सद्य प्रकाशित पुस्तक 'समतामूलक सामंजस्य: एक प्रस्तावना' का एक अंश जो महात्मा गांधी की दृष्टि की राजनैतिक संरचना को बखूबी समझाता है। यह पुस्तक 'गांधी स्कूल ऑव डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म', आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर ने प्रकाशित की है। सं.

प्रत्येक आर्थिकी की एक सहजन्मा राजनीति होती है क्योंकि अर्थ और राज्य दोनों ही सत्ता के दो रूप होते हैं, जिनके बीच संगति होना दोनों के लिए वांछनीय ही नहीं, अनिवार्यता होता है। इसलिए अर्थसत्ता के केन्द्रीयकरण को हिंसक, अन्यायपूर्ण और विषमतामूलक मानने वाले तथा उसके विकेन्द्रीकरण का आग्रह करने वाले विचारकों का राजसत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रबल समर्थन स्वाभाविक ही लगता है।

महात्मा गांधी तो, दरअस्ल, एक प्रबुद्ध अराज्यवादी ही हैं क्योंकि उनके विचारानुसार राज्य संकेंद्रित और संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा होती है, लेकिन क्योंकि राज्य आत्मा से विहीन तंत्र होता है, इसलिए उसे हिंसा से विरत कभी नहीं किया जा सकताउसका अस्तित्व ही हिंसा में निहित है। इसीलिए, वे लोकतंत्र और हिंसा को परस्पर विरोधी मानते हुए यहां तक कह देते हैं कि लोकतंत्र और हिंसा साथ-साथ नहीं चल सकते। जो राज्य आज नाम के लोकतान्त्रिक हैं, उन्हें या तो खुल्लम-खुल्ला सर्वसत्तात्मक बन जाना होगा या अगर वे सचमुच लोकतान्त्रिक बनना चाहते हैं तो हिम्मत करके उन्हें अहिंसक रूप धारण करना होगा। यही कारण है कि वे लोकतंत्र के सर्वोत्तम रूप माने जाने वाले प्रतिनिधि-सत्तात्मक संसदीय लोकतंत्र को भी वास्तविक स्वराज नहीं मानते क्योंकि संसदीय लोकतंत्र भी, अंततः निर्वाचित होने के बावजूद सत्ता का संसद में केन्द्रीकरण करता और हिंसा पर आधारित हो जाता है। इसीलिए वे मानते हैं कि आदर्श राज्य में राजनैतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्लॉइ राज्य ही नहीं होगा। क्रोपोटकिन ने इसी को 'प्रबुद्ध अराज्यत्व' की संज्ञा दी है। क्रोपोटकिन के लिए भी गैर-पूंजीवाद का तात्पर्य गैर-सरकारी व्यवस्था है, राज्य के अधीन आर्थिक आर्थिकी नहीं। महात्मा गांधी के लिए स्वराज का तात्पर्य है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास और यहां वे विदेशी और राष्ट्रीय सरकार के बीच कोई भेद नहीं करते।